"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 266] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 अक्टूबर 2012—कार्तिक 4, शक 1934

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 20-77/2012/ग्यारह/(छ:).—राज्य शासन एतद्द्वारा राज्य की "ऑटोमोटिव उद्योग नीति-2012" घोषित करता है. यह नीति 1 नवंबर, 2012 से पांच वर्ष अर्थात् 31 अक्टूबर, 2017 तक लागू रहेगी.

उपरोक्त के साथ ही इस नीति का अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित किया जा रहा है. किसी भी विवाद की स्थिति में हिंदी भाषा में जारी मूलनीति अंतिम मानी जावेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश श्रीवास्तव, सचिव.

"ऑटोमोटिव उद्योग नीति-2012"

रायपुर, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

क्रमांक एफ 20–77/2012/ग्यारह/(छै:), राज्य शासन एतद् द्वारा राज्य में नॉन कोर सेक्टर के उद्योगों की स्थापना को विशेष रूप से प्रोत्साहित करने के लिए ऑटोमोटिव उद्योगों (आटोमोबाईल–दो पहिया, तीन पहिया, यात्री एवं व्यावसायिक वाहन, अर्थ मूवर्स, कृषि उपयोगी वाहन, आटो कंपोनेंट्स उद्योग आदि) की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु "ऑटोमोटिव उद्योग नीति–2012" घोषित करता है।

प्रस्तावना :

(1.1) देश में नॉन कोर सेक्टर में "ऑटोमोटिव उद्योग" उदीयमान क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। ऑटोमोटिव उद्योगों को विशेष रूप से रोजगार के सृजन के दृष्टिकोण से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित करने वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हांकित किया गया है। पिछले दशक के दौरान यह क्षेत्र लगभग 12 से 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से विकास हुआ है।

(1.2) वृहद ऑटोमोटिव उद्योगों (आटोमोबाईल–दो पहिया, तीन पहिया, यात्री एवं व्यावसायिक वाहन, अर्थ मूवर्स, कृषि उपयोगी वाहन, आटो कंपोनेंट्स उद्योग आदि) की स्थापना होने पर, उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (अनुषांगिक) उद्योगों की स्थापना भी होती है, जिससे रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होती है।

(1.3) छत्तीसगढ़ राज्य का भारत के पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी छोर पर महत्वपूर्ण नगरों एवं केन्द्रों से समान दूरी पर होना एक लाभदायी भौगोलिक स्थिति है जिससे ऑटोमोटिव उद्योगों को छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं आन्ध्रप्रदेश का बाजार उपलब्ध होता है।

(1.4) ऑटोमोटिव उद्योगों हेतु स्टील, एल्युमीनियम एवं पॉवर की निरंतर एवं निर्बाध आपूर्ति का होना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जोकि छत्तीसगढ़ में बहुतायत में उपलब्ध है एवं यह उपलब्धता एक अतिरिक्त लाभ के रूप में है।

(1.5) छत्तीसगढ़ राज्य देश के पॉवर हब के रूप में उभर रहा है, साथ ही देश की 12वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित कुल विद्युत उत्पादन में से एक तिहाई क्षमता का उत्पादन छत्तीसगढ़ में संभावित है। राज्य के प्रमुख उद्योगों हेतु निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण, प्रतिस्पर्धी मूल्य पर विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण आकर्षण का मुख्य कारण है । अतः ऑटोमोटिव उद्योगों की स्थापना कर इसका लाभ दीर्घकालीन अवधि में प्राप्त करना युक्तियुक्त है।

(1.6) राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध होना ''उत्तम श्रमसंबंध परिवेश'' का परिचायक है, जोकि ऑटोमोटिव उद्योगों हेतु अतिरिक्त आकर्षण के रूप में है।

यह नीति ''ऑटोमोटिव उद्योग नीति–2012'' कही जावेगी एवं 1 नवंबर, 2012 से पांच वर्ष अर्थात 31 अक्टूबर, 2017 तक लागू रहेगी।

3.1) राज्य में ''नॉन कोर सेक्टर का प्रोत्साहन'' की पहल कर भविष्य में नॉन कोर सेक्टर के उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना।

(3.2) आगामी 10 वर्षों में आटोमोटिव उद्योग क्षेत्र में न्यूनतम 20000 करोड़ की पूंजी निवेश कराना, जिससे 20000 नवीन रोजगार के अवसर सृजित हो सकें।

(3.3) राज्य में आटोमोटिव उद्योग क्षेत्र की सहायता से बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु, सहायक एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना, जिससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर निर्माण के साथ साथ स्थानीय उद्यमशीलता को भी बढ़ावा मिल सके।

(4) स्वरूप :

राज्य में ऑटोमोटिव उद्योगों के द्रुतगति से विकास होने की संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश हेतु नई "ऑटोमोटिव उद्योग नीति–2012" के प्रमुख बिंदु निम्नानुसार हैं :–

(4.1) ऑटोमोटिव उद्योग में वे उद्योग शामिल होगें, जिनके द्वारा नई इकाई / विस्तार (जिसमें कि इंजिन प्लांट, प्रेस शॉप, बॉडी शॉप, ट्रांसमिशन लाईन, असेम्बली लाईन, पेंट शॉप इत्यादि एक ही स्थान पर होगें)।

योजना स्वयं या संयुक्त उपक्रम के साथ कम से कम 1000 करोड़ रूपये का स्थायी पूंजी निवेश राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. निष्पादन होने की तिथि से 7 वर्षों के भीतर करना होगा।

(4.2) उपरोक्त प्रस्तावित ऑटोमोटिव उद्योगों में न्यूनतम 1000 करोड़ की राशि में, स्थायी पूंजी निवेश एवं Intangible Assets, (जो कुल निवेश का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगें। (Intangible Assets Investment के अंतर्गत परियोजना शुरू करने के पूर्व के कार्य तकनीकी know-how का मूल्य, डिजाईन, प्रोटोटाईप इत्यादि, जो कि कंपनी के Books of Accounts में स्थायी सम्पत्ति निवेश में माने जायेंगे) सम्मिलित होगें।

(4.3) स्थायी पूंजी निवेश के तहत भूमि, भवन, फैक्ट्री–शेड, प्लांट मशीनरी, विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति पर निवेश की वही परिभाषाएं लागू होंगी, जो तत्समय लागू औद्योगिक नीति में परिभाषित हों।

(4.4) ऑटोमोटिव उद्योग के अनुषांगिक उद्योगों/आटो कंपोनेंट्स/पार्ट्स निर्माण इकाईयों के लिए स्थायी पूंजी निवेश की कोई सीमा नहीं रहेगी तथापि उन्हें वही सुविधाएं–अनुदान/छूट/रियायतें प्राप्त होंगी जोकि इस नीति में घोषित हैं।

परिभाषाएं :

(5.1) ''नवीन उद्योग'' से आशय ऐसे उद्योग से है, जिसके द्वारा इस नीति के लागू होने के पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया हो तथा इस प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति लघु उद्योग पंजीयन ई.एम. पार्ट–1/आई.ई.एम./औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र धारित करता हो। (रूपये 100 करोड से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश होने पर राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. निष्पादन किया गया हो।)

(5.2) ''उद्योग के विस्तार, शवलीकरण, बैकवर्ड इन्टीग्रेशन, फारवर्ड इंटीग्रेशन'' से आशय ऐसे उद्योग में विस्तार, शवलीकरण, बैकवर्ड इन्टीग्रेशन, फारवर्ड इंटीग्रेशन, इस नीति के लागू होने के पश्चात किया गया हो तथा इस प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति /ई.एम. पार्ट–1/आई.ई.एम./औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र धारित करता हो। (रूपये 100 करोड से अधिक का स्थायी पूंजी निवेश होने पर राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. निष्पादन किया गया हो।)

(5.3) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति /जनजाति वर्ग द्वारा

स्थापित उद्योग, महिला उद्यमी, विकलांग, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, अप्रवासी भारतीय/शत् प्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशक, कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग, राज्य के मूल निवासी, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र, इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु अन्य आवश्यक परिभाषाएं वहीं होंगी, जो तत्समय लागू औद्योगिक नीति में अधिसूचित की गई हों।

(5.4) भारत सरकार द्वारा ऑटोमोटिव उद्योगों के संबंध में मान्य परिभाषाएं यथावत अंगीकृत की जाएंगी।

[illegible] :-

(6.1) "ऑटोमोटिव उद्योग नीति–2012" के अंतर्गत स्थापित सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट तथा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की श्रेणी के नवीन उद्योगों की स्थापना/विद्यमान उद्योगों के विस्तार/शवलीकरण/फारवर्ड इंटीग्रेशन/बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर अनुदान/छूट/रिआयतों को प्राप्त करने की पात्रता होगी।

(6.2) भारत शासन/राज्य शासन या किसी अन्य राज्य शासन के निगमों/मंडलों/संस्थाओं/बोर्ड द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयों को अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

(6.3) यह आवश्यक है कि उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, उपलब्धता होने की स्थिति में कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किया गया हो।

(6.4) परियोजना हेतु छत्तीसगढ़ राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति एवं उसमें समय समय हुए संशोधनों सहित अनुसार पालनीय होगी।

(7)

क्र.	सुविधा का विवरण		योजना एवं छूट/अनुदान/रियायतें
1	मूल्य संवर्धित कर प्रतिपूर्ति (निवेश प्रोत्साहन सहायता के रूप में प्रदान की जावेगी)		मूल एवं सहायक इकाई का स्थायी पूंजी निवेश का अधिकतम 115 प्रतिशत तक सीमित, अधिकतम समयावधि 18 वर्ष की अवधि जो पूर्व अवसान हो, तक। यह छूट आटोमोटिव उद्योग इकाईयों के द्वारा तैयार की गई सामग्री के विक्रय के संबंध में भुगतान किये गये मूल्य संवर्धित कर के समतुल्य राशि होगी। यह छूट पूंजीगत प्रोत्साहन सहायता के रूप में प्राप्त होगी। इकाई को यह विकल्प रहेगा कि वह इस नीति के अंतर्गत यह प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करे अथवा तत्समय में प्रचलित राज्य शासन की औद्योगिक नीति में लागू स्थाई पूंजी निवेश अनुदान का लाभ ले।
2	केन्द्रीय विक्रयकर में छूट		तत्समय प्रचलित दर का 50 प्रतिशत, 18 वर्षों की अवधि तक।
3	प्रवेशकर भुगतान से छूट		परियोजना हेतु प्रथम कच्चामाल क्रय करने के दिनांक 100 प्रतिशत छूट 8 वर्ष की अवधि हेतु।
4	विद्युत शुल्क छूट		वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से 10 वर्ष।
5	स्टॉम्प ड्यूटी छूट		
	अ	भूमि, भवन, शेड प्रकोष्ठ पर	भूमि, भवन, शेड प्रकोष्ठ के क्रय/पट्टे से संबंधित विलेखों पर 100 प्रतिशत
	ब	ऋण विलेखों पर	औद्योगिक नीति 2009–2014 के अनुरूप देय होगी।

6	पंजीयन शुल्क पर छूट	भूमि, भवन, शेड, प्रकोष्ठ पर 100 प्रतिशत छूट।
(**टीप :—** इकाई द्वारा तीन वर्ष में उद्योग स्थापना हेतु प्रभावी कदम नहीं लेने पर क्रमांक 5 एवं 6 की छूट निरस्त की जा सकेगी)		
7	**टीप :—** "ऑटोमोटिव उद्योग नीति - 2012" (ऑटो कंपोनेंट्स सहित) में उल्लेखित उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त यथासमय लागू उद्योग नीति के अनुरूप अन्य सुविधाएं क्रमशः— ब्याज अनुदान, स्थाई पूंजी निवेश अनुदान, औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आवंटन पर भू प्रीमियम में छूट/रियायत, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेंट अनुदान, अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग हेतु मार्जिन मनी अनुदान एवं औद्योगिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत अनुदान/छूट/रियायतों की नियमानुसार पात्रता रहेगी।	

(8) इस नीति के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु दिये जाने वाले आर्थिक प्रोत्साहन के तहत अनुदान/छूट/रियायतों का लाभ पात्र उद्योगों को देने के लिए अधिसूचनाएं जारी की जावेंगी, तथा सुसंगत कानूनों के तहत प्रशासकीय निर्देश भी जारी किये जावेंगे।

(9) इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि वह राज्य में ऑटोमोटिव उद्योगों के विकास को दृष्टिगत रखते हुए नीति के प्रावधानों की समय-समय पर समीक्षा कर उसमें नये प्रावधानों का समावेश एवं संशोधन करें।

Raipur, the 26th October 2012

NOTIFICATION

S. No. F 20-77/2012/11/(6).— Government of Chhattisgarh hereby, declares, "Automotive Industries Policy - 2012". This policy will be effective from 1st November, 2012 for five years i.e. up to 31st October, 2017.

In addition to above this policy is also published in English. In case of any dispute Hindi version of the policy will prevail.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
DINESH SHRIVASTAVA, Secretary.

Automotive Industry Policy, 2012

Raipur, Date 26 October, 2012

No. F 20-77/2012/11/(6). State Government do hereby declare "Automotive Industry Policy – 2012" to especially encourage the establishment of non-core sector industries and promote establishment of automotive industries (Automobile-Two wheelers, Three wheelers, Passenger and Commercial vehicles, Earth Movers, agricultural utility vehicles, auto-components etc.).

1 Preamble:

1.1 "Automotive Industry" has been emerging as a sunrise sector in the non-core sector of the country. Automotive industries have been especially recognised as a sector having potential for creating employment on a large scale. The sector has grown around 12 to 15 percent per year during the last decade.

1.2 Establishment of large automotive Industries (Automobile-two wheelers, three wheelers, passenger and commercial vehicle, earth Movers, agricultural utility vehicle, auto-components industry, etc.) result in the creation of several micro, small and medium (Ancillary) industries that also increases opportunities for employment.

1.3 The State of Chhattisgarh enjoys an advantageous geographical situation, as the state is located at almost equal distances from important cities and trade centres of East, West and South India and covers markets of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Jharkhand, Maharashtra, Orissa and Andhra Pradesh.

1.4 Important pre-requisites for automotive industries are continuous and uninterrupted supply of steel, aluminium and power; all of these are available in abundance in Chhattisgarh. This is an additional advantage.

1.5 The State of Chhattisgarh is emerging as a "Power hub" in the country. In addition to this, one third of the total targeted production of electricity during 12[th] five year plan is expected to be produced in Chhattisgarh. Supply and distribution of uninterrupted and good quality electricity at competitive rates is the main attraction for major industries of the State. Hence, it is quite logical to establish automotive industries for reaping long term benefits.

1.6 The State enjoys favourable labour relations and congenial industrial environment, which is certainly an added attraction for automotive industries.

(2) Introduction and Enforceability:-

The policy shall be called "Automotive Industries Policy - 2012" and will be effective from 1st November, 2012 for five years i.e. up to 31st October, 2017.

(3) Objectives :-

3.1 To take initiative for promotion of a non-core sector in the State to encourage the establishment of non-core sector industries in future.

3.2 To fetch an investment of minimum Rs.20,000 Cr. in the sector of automotive industries so as to create 20,000 additional employment opportunities during next ten years.

3.3 To encourage establishment of micro, small, ancillary and medium industries in large number with the help of automotive industry sector in the State, so as to create direct and indirect employment opportunities and to promote local entrepreneurship.

(4) Scope:-

Keeping in view the expected fast development of automotive industry in the State,

main provisions of new policy for Automotive Industry- 2012 are as follows:

(4.1) Automotive Industry shall include an industry planning to establish a new unit/extension thereof (having engine plant, press shop, body shop, transmission line, assembly line, paint shop etc. at one place) on its own or as joint venture with minimum capital investment of Rs. 1000 Crore within 7 years from the date of executing Memorandum of Understanding with the Government of Chhattisgarh.

(4.2) In abovementioned proposed automotive industries minimum amount of Rs.1000 Crore shall include capital investment and intangible assets (not exceeding 10% of the total investment). (Intangible Assets investment shall include cost of technical know-how, design, prototype etc. before start of the project shown as capital asset investment in the books of accounts of the Company.)

(4.3) Definitions regarding investment on land, building, factory shed, plant and machinery, electricity supply and water supply under Capital Investment, shall be the same as defined under the Industrial Policy enforceable at that time.

(4.4) There shall be no limit of capital investment for ancillaries of automotive industry/ auto components/ spare part units, however, they shall be entitled to avail the same facilities- grants/ exemptions/incentives, as declared in this policy.

(5) Definitions:

(5.1) "New Industry" means an industry commencing its commercial production after enforcement of this policy and possessing a small scale industry registration EM Part-1/ IEM/ Industrial License/ Letter of intent (issued by a competent authority in this regard as the case maybe).

(In case of capital investment exceeding Rs. 100 cores, Memorandum of Understanding should have been executed with the State Government.)

(5.2) "Extension, Diversion, Backward Integration, Forward integration of industry" means extension, diversion, Backward Integration, Forward Integration done after commencement of this policy and possessing a small scale industry registration EM Part-1/ IEM/ Industrial License/ Letter of intent (issued by a competent authority in this regard as the case maybe).

(In case of capital investment exceeding Rs. 100 crores, Memorandum of Understanding should have been executed with the State Government.)

(5.3) Micro, Small and medium industry, Large industry, Mega Project, Ultra Mega Project, Schedule Cast /Schedule Tribe Industries established by Schedule Cast /Schedule Tribe, Female entrepreneurs, Disabled, Retired Army Personnel, Persons affected by naxalism, NRI/ 100% FDI investor, skilled labour, Management/Administrative class, Bonafide residents of the State, Date of commencing commercial production and other necessary definitions for the purpose of the notification shall be the same as notified in the Industrial Policy for the time being in force.

(5.4) Other definitions recognized in connection with Automotive Industries by Government of India shall be applicable mutatis mutandis.

(6) Eligibility:-

(6.1) Under the "Automotive Industry Policy-2012" establishment of new units as Micro and Small, Medium Industry, Large Industry, Mega Project and Ultra Mega Project class industries or expansions/ diversifications/ forward integrations/ backward integration of established units shall be eligible for availing incentives/ exemptions/rebates.

(6.2) Industrial Units established by Government of India/ State Government(s) or by the Corporation/ Board/ Institutions shall not be eligible for grants.

(6.3) It is mandatory that from the date of commercial production to a minimum period of five years the unit shall employ minimum 90% of unskilled workers, minimum 50% of skilled workers subject to availability and minimum one-third posts of management/ administrative cadres to bona fide residents of the State.

(6.4) For the purpose of a project, Model rehabilitation Policy of Chhattisgarh State (as amended) shall be applicable.

(7) Details of Facilities:

Facilities to be given under "Automotive Industries Policy -2012"

S. No.	Details of Facility	Scheme and rebates/ grants/ incentives
1.	Value Added Tax reimbursement (To be provided as Investment incentive assistance)	Limited to maximum 115% of Capital Investment for original and ancillary unit, for a maximum period expiring before 18 years whichever is earlier. This rebate shall be equivalent to the VAT paid for the sale of finished products manufactured by automotive industrial units. The rebate shall be available as capital investment incentive. The unit shall have an option to receive the incentive under this policy or to avail capital investment grant under industrial policy, as applicable at the time.
2	Rebate in Central Sales Tax	For the period of 18 years 50% on the rate prevailing at that time.
3	Exemption from payment of Entry Tax	100% rebate from purchase of first raw material for the project for period of 8 years.
4	Rebate in Electricity Duty	For the period of 10 years from the date of Commencing commercial production.
5	Exemption from Stamp Duty	
(a)	On Land, Buildings, Sheds and flat.	100% on sale/lease related documents of land, buildings, sheds and flat.
(b)	On debt Instruments	Payable as per provisions of Industrial Policy 2009-2014.
6	Exemption from Registration Fee	100% exemption on Land, Buildings, Sheds and flat.
Note: In case of failure in taking effective steps towards establishment of Industry within three years by the unit, exemptions under S.No. 5 and 6 may be revoked.		

Note: "Apart from the abovementioned facilities avail able under Automotive Industries Policy – 2012" (including Auto components), the facilities available for Grant, Rebate/Concession as per the Industrial Policy applicable at that time, such as : - Interest subsidy, Capital Investment Grant, Rebate/Concession on land premium in land allotment in Industrial Area, Project Report Grant, Quality certification grant, Technical Patent Grant, Margin money Grant for Schedule Cast & Schedule Tribe and Industrial Award Schemes would be eligible as per rules.

(8) Grants/ Rebates/ concessions applicable as financial incentive for industrial investment under the policy shall be notified and administrative orders shall also be issued under relevant laws.

(9) Under this policy, the State Government shall have the right to review the provisions under this policy from time to time and include new provisions or amend existing provisions for the growth of Automotive Industries in the State.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.